

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 01-17/2026- पटना, दिनांक- / / 2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत निम्नांकित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सा पदाधिकारियों को कॉलम-06 में अंकित संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्योर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति/वर्तमान पदस्थापन संबंधी अधिसूचना एवं दिनांक	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
01	AMAN KUMAR	25-04-1995	595(17) 05.06.2025	SDH, PUSA, SAMASTIPUR	IGIMS, Patna
02	JITENDRA KUMAR (BHS)	25-06-1990	1017(2) 11.09.2020	CHC, KHODABANDPUR, BEGUSARAI	IGIMS, Patna
03	PANKAJ KUMAR CHOUDHARY (BHS)	10-06-1994	1017(2) 11.09.2020	CHC, BELHAR, BANKA	AIIMS, Delhi
04	KUNAL ANAND	31-08-1995	287(17) 05.06.2026	CHC, ALAMNAGAR, BANKA	IGIMS, Patna

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक विभागीय आदेश सं०-105(17), दिनांक-22.01.2026 के आलोक में संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों/छात्रों से विधिवत शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक विभागीय आदेश सं०-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में उच्चतर अध्ययनोपरान्त/टेन्योर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध 01-17/2026- 374(17) पटना, दिनांक :-24/03/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।